SHRI DAVID LEDGER (Meghalaya): Sir, with your permission, I would like to associate myself with the Special Mention raised by Prof. B. B. Dutta,

Law and Order situation in Bihar

डा० जगन्नाथ मिश्र : (बिहार) : उप सभापति महोदया, एक गंभीर संवैधानिक महत्व के विषय को मैं यहां उठाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 261 के अंतर्गत यह स्पष्ट कहा गया है कि न्यायालय के सभी निर्णय सभी सरकारों के लिए मान्य होंगे और कार्य-पालिका को बाध्य करेंगे उस पर अमल करने के लिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार में बनी, जब पिछले दिन 29 फरवरी को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि बिहार में कोई प्रशासन नहीं है, अपराध में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किसी स्तर पर प्रशासन में कोई शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कि वह शासन चलाए। उन्होंने यह भी कहा है, तमाम न्यायालयों की उन्होंने बैठक की और उस बैठक में सभी न्यायाधीशों ने एक मत से कहा कि स्थानीय प्रशासन से उन्हें न्याय कार्यों के सम्पादन करने में कोई सहायता या सहयोग नहीं मिलता है। जो अपराधी जेल में होते हैं, उन्हें सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं किया जाता है और उन लोगों ने सूचना दी कि लगभग 68 हजार मामले पिछले चार वर्षों में सभी जिला न्यायालयों में लंबित हो गए हैं और न्यायालय उन मामलों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि बिहार सरकार का सहयोग उन्हें नहीं मिलता है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है वह अत्यंत ही गंभीर मामला है। उप सभाध्यक्ष महोदय यह भी स्मरणीय है कि इससे पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे, श्री प्रसाद, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार शासन, राज्य स्तर से, जिला स्तर से न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना लगातार करता रहा है और बिहार सरकार ने कभी किसी स्तर पर सहयोग नहीं दिया है न्याय-पालिका को। दूसरी ओर न्याय-पालिका पर उनका निरंतर दबाव रहता है कि अमुक मामले में इस प्रकार का फैसला दिया जाए, अमुक अपराधी को बेल दी जाए, अमुक अपराधी को बेल नहीं दी जाए। इसके फलस्वरूप बिहार में अपराधियों का शासन बन गया है। इसलिए संविधान-सम्मत सरकार बिहार में इस समय नहीं है। ... **(व्यवधान)...**

श्री नागमणि : (बिहार) : कोई ऐसी बात नहीं है बिहार में, गलत कह रहे हैं।

डा० जगन्नाथ मिश्र : मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से स्पष्ट होता है और खास तौर से जब पिछले चार वर्ष के अपराधों के आंकड़ों को हम देखते हैं, जो सरकार के स्तर से आंकड़े संकलित किए गए हैं, कि पिछले चार वर्ष के भीतर 27 हजार से अधिक हत्याएं हुई हैं, 9 हजार से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई हैं, जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं उनमें 400 से अधिक मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं, खास तौर से गया के डुमरिया और इमामगंज में, वहां के नक्सलियों ने एक तरफ से मुसलमानों की हत्याएं की हैं, जो भूमि-विवाद हुए हैं पिछले चार सालों में, वे करीब-करीब 250 हैं, जिनमें 400 लोग मारे गए हैं, जो जातीय दंगे हुए हैं, उन जातीय दंगों में भी लगभग 400 लोग मारे गए हैं जो पुलिस की ज्यादतियां हुई हैं, लगभग 400 जगहों पर गोलियां चली हैं, जिनमें 200 लोग मारे गए हैं इस बीच में। इन तमाम बातों पर गौर करने के उपरांत ही मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है।

इसलिए भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का, हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, जो एकाएक नागरिक को जान-माल की सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं और जहां कानून के शासन की बात कही गई है कि कानून की नजर में प्रत्येक नागरिक समान है, बराबर है और उन्हें न्याय

पाने का हक है। उस न्याय से वहां के सैकड़ों-हजारों लोगों को आज वंचित किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायपालिका के निर्णय कार्यान्वित नहीं हो रहे हों तो फिर केन्द्र सरकार अगर नहीं देखे, तो संविधान के पालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? भिन्न राज्य सरकारों की होती है और किन सरकार की मुख्य रूप से होती है। भारत के राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा और संरक्षा की शपथ लेते हैं और बिहार में संविधान की पूरे तौर पर अवेहलना हो रही है, उल्लंघन हो रहा हैं और पूरे राज्य में अराजकता का माहौल और असुरक्षा का माहौल बन गया है। मुख्य रूप से जो टिप्पणी वहां के मुख्य न्यायाधीश ने की है, उस टिप्पणी को भारत सरकार गंभीरता से ले और कोई कारगर उपाय तत्काल निकालने पर गंभीरता से विचार करे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: (उत्तर प्रदेश): जो मिश्र जी ने बात उठाई है, वह गंभीर है और उन्होंने वस्तु-स्थिति का ही चित्रण किया है। मैं अपने आपको, अपने दल को उनकी बात से सम्बद्ध करता हूं। लेकिन मुख्य चीज यह है कि जब न्यायाधीश भी यह कहें कि यहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और आम आदमी भी यह अनुभव करता हैं कि जैसे वहां कोई सरकार नहीं, केवल जंगल राज है, तो उचित ही कहा गया। मैं भी उनसे आवाज मिलाता हूं कि केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिए कि क्या वहां पर संवैधानिक सरकार है या नहीं।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी): आप एसोशिएट कर रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: अगर नहीं हैं तो गृह मंत्री और प्रधान मंत्री को; मैं यह कहूंगा कि प्रधान मंत्री बाहर जाने वाले हैं, उनको शीघ्र ध्यान देकर कोई न कोई कार्रवाई की जानी चाहिए।

Setting up of more public sector factories in Bihar

श्री नागमणि: (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिस तरह से केन्द्र ने शुरू से बिहार को नेग्लेक्ट किया हैं, उसकी ओर मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 1962 के बाद बिहार में पब्लिक सैक्टर में एक भी बड़ा कारखाना नहीं खोला गया, जबकि पूरा देश जानता है कि बिहार में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ और रॉमैटीरियल हैं, खासकर के यह जो पलामू और चित्रा जिला का इलाका हैं, 8-10 खनिज पदार्थ वहां पाए जाते हैं। लेकिन 30 वर्षों के दरम्यान बिहार में एक भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया गया है, जिसके चलते पूरे बिहार के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, नेक्सलाइट और आतंकवादी बनने पर मजबूर है। हम आपको इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि आज बिहार का नौजवान यह सुनना नहीं चाहता हैं कि बिहार को केन्द्र नेग्लेक्ट करे और बिहार के लोग सुनते रहेंगे। हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं और महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बिहार से केन्द्रीय विश्व विद्यालय की मांग वर्षों से होती रही। बिहार से छोटा राज्य-आसाम है, इसी पिछले सेशन में दो-दो केन्द्रीय विश्व विद्यालय दिए गए। लेकिन बिहार में एक भी केन्द्रीय विश्व विद्यालय नहीं दिया गया है। *

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी): कृपया आपका जो विशेष उल्लेख है उससे ही सीमित रखें। दूसरे, जो भी यहां बातें कही जाती हैं वह संविधान के ढांचे में कही जाती हैं। मैं इस पटल को राजनीतिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा कि आप केन्द्रीय सरकार के खिलाफ इस प्रकार की बात कहें। जो भी इन्होंने कहा है, जिसका संदर्भ मैंने अभी लिया है, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा। आप स्पेशल मेंशन तक ही अपने को सीमित रखें।

*Not recorded.